

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18012023-242054
SG-DL-E-18012023-242054असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 450
No. 26]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944	[N. C. T. D. No. 450

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

फा.स. 2(6)/06/औ.नि./प्रर्व./पार्ट.फा./खंड-II/281-286.—औषधि नियमावली, 1945 के नियम 2 के खंड (i) के साथ पठित नियम 50 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 10.07.2017 की अधिसूचना फा. सं. 2(6)/06/औ.नि./प्रर्व./पार्ट.फा./खंड-II/34-39 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री कमल रंजन चावला, उप-औषधि नियंत्रक को संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये उक्त नियमावली के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तत्काल नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उसके नाम पर,

एस. के. जैन, विशेष सचिव (स्वा. एवं परि. कल्या.)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th January, 2023

F. No. 2(6)/06/DC/Enft./Pt. File/Vol-II/281-286.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule(2) of Rule 50 read with clause (i) of Rule 2 of the Drugs Rules, 1945, and in supersession of this Government's notification F. No. 2(6)/06/DC/Enft./Pt. File/Vol-II/34-39 dated 10.07.2017, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Kamal Ranjan Chawla, Deputy Drugs Controller, Delhi as the Controlling Authority for the purpose of the said Rules, for the entire National Capital Territory of Delhi with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. JAIN, Spl. Secy., (H & FW)